राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 62/2014/जयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1669/2010/जयपुर)
2. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 63/2014/जयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1670/2010/जयपुर)
3. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 64/2014/जयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–1671/2010/जयपुर)

मैसर्स दी सन एन्टरप्राईजेज,
अम्बर टॉवर, संसार चंद रोड़, जयपुर. ....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. माहेश्वरी, अधिकृत प्रतिनिधि ....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/09/2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा ये संशोधन प्रार्थना–पत्र राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या क्रमशः 1669 से 1671/2010/जयपुर में माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 20.02.2014 में परिलक्षित भूल बताते हुए सुधार हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

2. परिशोधन प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 22.02.2014 को जो आदेश पारित किया गया था उसमें अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलों को अस्वीकार किया गया था जो इस आधार पर संशोधन योग्य है कि उनके द्वारा लिखित में दी गयी बहस में यह बताया गया था कि अपीलार्थी द्वारा जो इलेक्ट्रिक मोटर की बिक्री की गयी थी, वह विभिन्न उद्योगों को दी गयी थी, जिस पर 4 प्रतिशत से केपिटल गुड्स के रूप में कर आरोपणीय है, जबकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश द्वारा इसे 12.5 प्रतिशत की कर दर से कर योग्य माना गया है जो विधिसम्मत नहीं है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा लिखित में कई तर्क भी प्रस्तुत किये गये हैं।

3. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने हमारे समक्ष बहस के दौरान यह भी कथन किया कि इस मामले में उनके स्वयं के मामले में ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय उनके पक्ष में कर दिया गया है परन्तु उनके द्वारा ऐसे

लगातार..............2

किसी निर्णय की प्रति हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी। बहस के दौरान यह भी बताया गया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा इसी बिन्दु पर दिनांक 19.09.2016 को अपील संख्या 1892/2008/जोधपुर में इलेक्ट्रिक मोटर को 4 प्रतिशत से कर योग्य माना गया है अतः इस आधार पर अपीलार्थी के प्रकरण में दिनांक 20.02.2014 को दिये गये आदेश को संशोधित करना विधिसम्मत बताया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण में इलेक्ट्रिक मोटर के कर दर सम्बन्धी जो आदेश दिनांक 20.02.2014 को पारित किये गये थे वे पूर्णतया सुविचारित आदेश थे, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये कथन, तर्क एवं विभिन्न न्यायिक निर्णयों का विवेचन करते हुए आदेश पारित किया गया था जिसमें किसी अन्य खण्डपीठ द्वारा बिना किसी आधार के संशोधन नहीं किया जा सकता, उन्होंने कथन किया कि अधिनियम की धारा 33 के तहत केवल उन्हीं बिन्दुओं पर किसी आदेश में संशोधन किया जा सकता है जो त्रुटि रेकॉर्ड पर परिलक्षित त्रुटि हो, परन्तु किसी भी पूर्ण विचार एवं विवेचन के साथ में प्रत्येक बिन्दु पर किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना धारा 33 की परिधि में नहीं आता है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज (2011) 29 टैक्स अपडेट 253** के निर्णय का हवाला देते हुए कथन किया कि किसी भी सुविचारित निर्णय को संशोधन की धारा के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता।

5. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उक्त विवादित आदेश दिनांक 20.02.2014 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया जा सकता था, परन्तु उनके द्वारा विधिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर केवल सुविचारित निर्णय को संशोधित करने का जो प्रार्थना—पत्र दिया गया है वह विधि के विरूद्ध है। यह भी कथन किया कि अधिनियम की धारा 33 के तहत किसी बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्णयों के अधीन संशोधन किया जा सकता है जबकि इस बिन्दु पर कोई निर्णय सीधे तौर पर नहीं दिया गया है अतः एक खण्डपीठ द्वारा पूर्व में दिये गये निर्णय को पश्चातवर्ती दूसरी खण्डपीठ के विरोधी निर्णय से संशोधन किया जाना अनुचित एवं अविधिक है।

लगातार..............3

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील संख्या 1669—1671/2010/जयपुर के रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर को केपिटल गुड्स नहीं मानते हुए अनुसूची—IV की प्रविष्ठि संख्या 27 के अनुसार 4 प्रतिशत से कर योग्य नहीं मानते हुए, अवशिष्ठ कर दर के तहत 12.5 प्रतिशत से कर योग्य माना गया था, उस आदेश के विरूद्ध अपील की जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा एवं बाद में उक्त आदेश के जरिये माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 22.02.2014 को प्रत्येक बिन्दु एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित निर्णयों का उल्लेख करते हुए सुविचारित एवं पूर्ण विवेचन के साथ आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गयी थी, जिसमें कर दर के मामलों में प्रस्तुत अपीलें खारिज की गयी थीं, परन्तु आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया था। इस तरह माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित सुविचारित आदेश को संशोधित करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र पर विचार करने पर पाया गया कि इन संशोधन प्रार्थना—पत्रों के जरिये माननीय खण्डपीठ के उक्त निर्णय को अपास्त कर अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन मात्र किया गया है। चूंकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड के किसी भी आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निगरानी किये जाने के प्रावधान किये हुए हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के समक्ष विधिक अधिकार का प्रयोग कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निगरानी दायर की जा सकती थी, परन्तु उनके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत नहीं की गयी है बल्कि इस आदेश में संशोधन करने के लिये अधिनियम की धारा 33 का आधार लिया गया है जबकि अधिनियम की धारा 33 में संशोधन के आदेश केवल उन मामलों में ही किये जा सकते हैं, जहां कोई भूल रेकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो, जबकि इस प्रकरण में मामला इलेक्ट्रिक मोटर पर कर दर से सम्बन्धित था, जिस पर पूर्ण विवेचन के साथ कर दर अवधारित किये जाने का निर्णय किया गया था, ऐसी स्थिति में इस निर्णय में संशोधन किया जाना पूर्णतया अविधिक होगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा धारा 33 के तहत **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज (2011) 29 टैक्स अपडेट 253** में सुविचारित निर्णय को संशोधित किये जाने को अविधिक मानते हुए अपास्त किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान उनके स्वयं के मामले

लगातार..............4

में ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का कोई आदेश होना बताया, परन्तु ऐसा कोई आदेश हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो स्वयं अपीलार्थी के पक्ष में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हो। अतः इस पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जा सकता।

7. इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 33 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

Section 33. Rectification of a mistake. –

(1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation. – A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

(2) No application for rectification shall be filed under sub–section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

(3) Where an application under sub–section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

(4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

8. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का यह कथन विधिनुकूल है कि हालांकि इस बिन्दु पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा उक्त अपील के निर्णय के दो वर्ष पश्चात् विपरीत निर्णय पारित किया गया है परन्तु किसी एक खण्डपीठ के पूर्व के आदेश को दूसरी खण्डपीठ के विपरीत आदेश होने के आधार पर संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा किया जाने से न्यायिक व्यवस्था में किसी निर्णय को अन्तिमता प्राप्त नहीं हो पायेगी, बल्कि ऐसे मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में ही निगरानी प्रस्तुत की जा सकती थी।

9. उक्त प्रावधानों के आलोक में, हस्तगत प्रकरण में माननीय खण्डपीठ द्वारा एक सुविचारित एवं प्रत्येक बिन्दु पर विश्लेषण के बाद जो निर्णय दिया गया है उस पर पुनर्विचार कर नये सिरे से आदेश पारित करना अधिनियम की धारा 33 के संशोधन के प्रावधानों में अनुज्ञेय नहीं है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज** के प्रकरण में पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार कर संशोधन के प्रावधान के तहत नये पारित आदेश को राज्य सरकार द्वारा चुनौती दिये जाने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे विधिविरूद्ध बताते हुए संशोधन करने के कर बोर्ड के निर्णय को अपास्त किया गया था। इस तरह विधिक रूप से एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय के अनुसार धारा 33 के तहत खण्डपीठ के पूर्व के सुविचारित आदेश को संशोधित नहीं किया जा सकता।

10. फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनों प्रार्थना–पत्र अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं आने एवं विचार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किये जाते हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।

5/9/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष